

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकेत प

विषय : बिहार राज्य नागरिक परिषद की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में ।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-1218 दिनांक-14.06.07 द्वारा लोकहित में तत्काल प्रभाव से बिहार राज्य नागरिक परिषद को पुनर्जीवित किया गया है, परिषद के संचालन हेतु नयी नियमावली तैयार नहीं होने की स्थिति में वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन का मामला सरकार के स्तर पर विचारार्थ था । सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि नियमावली तैयार होने तक परिषद के संचालन हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्न रूपेण किया जाता है :-

- 1 : बिहार राज्य नागरिक परिषद के सदस्य सचिव को स्थापना व्यय से संबंधित सभी मामले में बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार व्यय करने की पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।
- 2 : वे बिहार वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट-5 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के समानान्तर वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।
- 3 : परिषद के वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के मामले में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4082 दिनांक-29.06.06 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के समानान्तर वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।
- 4 : बिहार राज्य नागरिक परिषद प्रत्येक वर्ष के अन्त में लेखों का अंकेक्षण करायेगा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा । परिषद फलाफल से प्रशासी विभाग को भी अवगत करायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरुनीश चावला)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं.-एम04-07/08...../वि(2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित ।

ह0/-


(अरुनीश चावला)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

.....कृ०पृ०३०


आप नं.-एम04-07/08.....²⁶⁰⁵...../वि(2), पटना, दिनांक-30.03.08

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(अरुनीश चावला)

अपर विन आयुक्त(व्यय) ।


30/3